



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228379
CG-DL-E-20072021-228379

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]
No. 401]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2021/आषाढ़ 29, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(सक्षम प्राधिकारी सेल)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

(सं. 2021 का 02)

सा.का.नि. 499(अ).—केन्द्र सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा यथासंशोधित बेनामी संपत्ति लेनेदेन निषेध अधिनियम, 1988 [जिसे इसके बाद “अधिनियम” कहा जाएगा] (1988 का 45) की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्मगलर तथा विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की जब्ती) अधिनियम 1976, (1976 का 13) की धारा 5, उप-धारा (1) के तहत उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु अधिकृत सक्षम प्राधिकारियों के बीच निम्न अधिकार क्षेत्रों का आवंटन करती है:-

क्र.सं.	सक्षम प्राधिकारी का नाम	अधिकार क्षेत्र
1.	सक्षम प्राधिकारी, कोलकाता	बेनामी संपत्ति लेनेदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले तथा कार्यों को करने वाले आयकर अधिकारियों द्वारा संदर्भित सारे मामले जिनका कार्यालय कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना, गुवाहाटी में है।

2.	सक्षम प्राधिकारी, चैन्ने	बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले तथा कार्यों को करने वाले आयकर अधिकारियों द्वारा संदर्भित सारे मामले जिनका कार्यालय बंगलूरु, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद, पणजी में है।
3.	सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली	बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले तथा कार्यों को करने वाले आयकर अधिकारियों द्वारा संदर्भित सारे मामले जिनका कार्यालय दिल्ली, भोपाल, रायपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, कानपुर में है।
4.	सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई	बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले तथा कार्यों को करने वाले आयकर अधिकारियों द्वारा संदर्भित सारे मामले जिनका कार्यालय मुम्बई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, नागपुर में है।

*इस विषय में संबंधित आयकर प्राधिकारियों का क्षेत्रीय क्षेत्रवार अधिकार क्षेत्र वही होगा जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सीबीडीटी अधिसूचना सं. 40/2017/फा.सं. 173/429/2016-आईटीए-1 दिनांक 18.05.2017 [एस.ओ. 1621 (अ)] में प्रकाशित किया गया है।

तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत अधिकृत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बेनामी सम्पत्ति संयवहार निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किया गया कार्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पहले से किए जा रहे कार्यों के अतिरिक्त होगा।

[फा.सं. ए-50050/79/2021-सीए सैल]

दिनेश बौद्ध, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(COMPETENT AUTHORITY CELL)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2021

(No.02 of 2021)

G.S.R. 499(E).— In exercise of the powers conferred under section 7 of the Prohibition of Benami Property Transactions Act 1988 [hereinafter called as “Act”](45 of 1988) as amended by Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government is pleased to allocate the following areas of jurisdiction among the Competent Authorities authorized under sub-section (1) of section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) for the purpose of the said Act:

S. No.	Name of Competent Authority	Jurisdiction
1.	Competent Authority, Kolkata	All the cases referred by Income Tax Authorities* exercising the powers and performing the functions under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 having headquarters at Kolkata, Bhubaneswar, Patna, Guwahati.
2.	Competent Authority, Chennai	All the cases referred by Income Tax Authorities* exercising the powers and performing the functions under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 having headquarters at Bengaluru, Chennai, Kochi, Hyderabad, Panaji.
3.	Competent Authority, New Delhi	All the cases referred by Income Tax Authorities* exercising the powers and performing the functions under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 having headquarters at Delhi, Bhopal, Raipur, Chandigarh, Ludhiana, Jaipur, Lucknow, Kanpur.

4.	Competent Authority, Mumbai	All the cases referred by Income Tax Authorities* exercising the powers and performing the functions under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 having headquarters at Mumbai, Ahmedabad, Surat, Pune, Nagpur.
----	--------------------------------	---

* The territorial area wise jurisdiction of the respective Income Tax Authorities in this regard will be same as provided for in CBDT Notification No 40/2017/F. No. 173/429/2016-ITA-I dated 18-05-2017 [S.O. 1621(E)] published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary.

The work performed by the Competent Authorities authorized under sub-section (1) of section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) in exercise of powers conferred under section 7 of the Prohibition of Benami Property Transactions Act 1988 will be in addition to the work already being performed by the Competent Authorities.

[F. No. A-50050/79/2021-CA Cell]

DINESH BOUDDH, Director